

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर०

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

65 में खाता का नाम अजीत कुमार चन्दावती एवं वरिष्ठ दस्तावेजी है। प्रार्थी के दस्तावेजी में अजीत कुमार चन्दावती का नाम अजीत कुमार चन्दावती दिया गया है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व/2020/2292/2

पंचायत उदयपुरवाटी (शुद्ध)

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिप्राय की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त रिपोर्ट उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुद्ध (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | जमाबन्दी सम्वत् | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|-----------|-----------------|-------------|--|---|
| 1 | इन्द्राणा | 2075-78 | 65 | अजीत कुमार चन्दावती दस्तावेजी है. 4/2 | अजीत कुमार चन्दावती दस्तावेजी है. 4/2 |

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 15/12/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/2292/2

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी